

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

69 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017

01.09.2017

20.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1—श्री विकार अहमद पुत्र श्री मो. अब्दुल करीम जाति मुसलमान निवासी गली नं. 1, शिवाजी कॉलोनी निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स न्यू परख डेयरी एण्ड किराणा स्टोर गली नं. 1, शिवाजी कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज.

2— मैसर्स न्यू परख डेयरी एण्ड किराणा स्टोर गली नं. 1, शिवाजी कॉलोनी निवाई जिला टोंक
..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार उप.।

2—अप्रार्थी व उनके अभिभाषक अनु.।

:-निर्णय:-

दिनांक 20.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.06.2017 को समय 10:15 ए.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स न्यू परख डेयरी एण्ड किराणा स्टोर गली नं. 1, शिवाजी कॉलोनी निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री विकार अहमद पुत्र श्री मो. अब्दुल करीम उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विकार अहमद ने स्वयं को मैसर्स न्यू परख डेयरी एण्ड किराणा स्टोर गली नं. 1, शिवाजी कॉलोनी निवाई जिला टोंक का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में फ्रीजर में एक एल्यूमिनियम की बाल्टी में 8-10 लीटर मिश्रित दूध रखा था जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री विकार अहमद को गवाह के सामने फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री विकार अहमद व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह मिश्रित दूध वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया जा रहा हैं, 2 लीटर खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त



आवेदक ने खरीदशुदा **मिश्रित दूध** को हिला-मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ एवं सूखी कांच की शिशियों में बराबर-बराबर भरकर चार भाग तैयार कर प्रत्येक भा में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40-40 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी को एयर टाइट बंद किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I-1685 अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-1685 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/3595 दिनांक 10.07.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषकअजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/456/एक्ट/2017/456 दिनांक 06.07.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मिश्रित दूध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (**Sub-Standard**) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा अवमानक (**Sub-Standard**) स्तर का **मिश्रित दूध** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 06.11.2017 को अप्रार्थी की और से श्री रामपाल शर्मा व श्री कैलाश शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अतः परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिश्रित दूध** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (**Sub-Standard**) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस एवं जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिश्रित दूध** का नमूना जांच में अवमानक (**Sub-Standard**) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011, धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49)



के अन्तर्गत जुमाने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 60,000/- (अक्षरे साठ हजार रू0), आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(परशुराम धानूरा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0